

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-सहारनपुर एवं शामली।

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/ 12876

दिनांक: 25.03.2019

विषय: दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की
आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या—एस.पी.एम.यू.
/एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों के
भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त निर्देशों
के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक जनपद सहारनपुर एवं शामली
का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी
आख्या तैयार की है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित
बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, जनपद-सहारनपुर एवं शामली, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., शामली।

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

जनपद सहारनपुर एवं शामली के किये गये भ्रमण दिनांक 11.03.2019 से 15.03.2019 की
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या।

भ्रमण दल के सदस्य—

- डा० पी०के० श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, ई०एम०टी०एस०।
- श्री अरूणेश तिवारी, कन्सल्टेंट, ई०एम०टी०एस०।

भ्रमण दिवस— दिनांक 11.03.2019 से 15.03.2019

स्थान— जनपद सहारनपुर एवं जनपद शामली।

भ्रमण आख्या


अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हरण, शामली		
कस्बे की मुख्य मार्ग एवं चिकित्सालय के सम्पर्क मार्ग पर चिकित्सालय का कोई भी साइनेज बोर्ड उपलब्ध नहीं था। चिकित्सालय परिसर के बाउंड्री इन्ट्रेंस पर भी कोई बोर्ड नहीं था।	जनपद के समस्त चिकित्सालयों हेतु मुख्य मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों पर तथा परिसर के इन्ट्रेंस पर समुचित बोर्ड/साइनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय के बाउंड्री इन्ट्रेंस पर कोई गेट नहीं लगा था।	बाउंड्री इन्ट्रेंस पर गेट लगाया जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय के ओ.पी.डी. कक्ष में इक्जामिनेशन टेबल नहीं उपलब्ध थी।	इक्जामिनेशन टेबल, स्टेप्स एवं मरीजों की प्राइवेसी हेतु कर्टन आवश्यक है। जनपद के समस्त चिकित्सालयों के ओ.पी.डी. कक्ष में यह सुनिश्चित किया जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय भवन की रंग रोगन भी काफी पुराना है एवं भवन पर की गयी वाल राइटिंग्स भी अत्यन्त खराब रिथर्ति में है।	समुचित रंग रोगन एवं राइटिंग्स सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
शौचालय की सफाई व्यवस्था खराब पाई गयी।	समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
ओ.पी.डी. कक्ष एवं वार्डों में वाल टाइल्स नहीं लगे थे। चिकित्सालय की फ्लोरिंग भी संतोषजनक नहीं थी।	समुचित व्यवस्था की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में विभिन्न कार्यक्रमों की आई.ई.सी. अत्यन्त ही असंतोषजनक थी। सिटीजन चार्टर उपलब्ध नहीं था।	समुचित आई.ई.सी. एवं वाल राइटिंग्स सुनिश्चित की जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मरीजों के बैठने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी।	आवश्यकतानुसार बेंच एवं कुर्सियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम क्रियाशील नहीं था।	उपकरणों एवं फर्नीचर की	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
	व्यवस्था कर लेबर रूम को क्रियाशील किया जाए।	
उपकेन्द्र हरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हरण, शामली उपकेन्द्र पर कोई भी आई.ई.सी., वाल राइटिंग्स उपलब्ध नहीं थी।	समुचित आई.ई.सी. की जाए।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्साधिकारी
उपकेन्द्र पर रोशनी के लिए एल.ई.डी./ट्यूब लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी।	व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्साधिकारी
उपकेन्द्र पर आर.सी.एच. रजिस्टर नहीं था।	जनपद के समस्त उपकेन्द्रों पर रजिस्टर की उपलब्धता एवं रख—रखाव सुनिश्चित किया जाए।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
उपकेन्द्र पर ग्लूकोमीटर एवं हीमोग्लोबिनोमीटर उपलब्ध नहीं था।	व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
ए.एन.एम. को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के लक्षणों की आंशिक जानकारी थी।	समस्त ए.एन.एम. को एच.आर.पी. से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाए।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
ए.एन.एम. को अनटाइड फंड की वार्षिक धनराशि की जानकारी नहीं थी। साथ ही किन—किन मदों में इसका उपयोग किया जा सकता है इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी।	समस्त ए.एन.एम. को सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाए।	ए.एन.एम. / प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
उपकेन्द्र पर तैनात ए.एन.एम. को डिलिवरी कराने की जानकारी नहीं थी जबकि डिलिवरी के लिए स्थान उपलब्ध है।	ए.एन.एम. की एस.बी.ए. ट्रेनिंग कराकर डिलिवरी शुरू करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थानाभवन, शामली		
कस्बे की मुख्य मार्ग एवं चिकित्सालय के सम्पर्क मार्ग पर चिकित्सालय का कोई भी साइनेज बोर्ड उपलब्ध नहीं था।	जनपद के समस्त चिकित्सालयों हेतु मुख्य मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों पर तथा परिसर के इन्ट्रेंस पर समुचित बोर्ड/साइनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय में आई.ई.सी., प्रोटोकॉल पोस्टर्स एवं वाल राइटिंग्स संतोषजनक नहीं थी। चिकित्सालय फैसिलिटी ब्राइंडिंग के अन्तर्गत आच्छादित है।	उचित आई.ई.सी., प्रोटोकॉल पोस्टर्स एवं वाल राइटिंग्स सुनिश्चित की जाए।	अधीक्षक
लेबर रूम में डिलिवरी टेबल एवं अन्य फर्नीचर जंग लगे पाये गये।	उचित डिलिवरी टेबल एवं फर्नीचर की व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक
लेबर रूम का कैलिस पैड पंचर था एवं मैकिन्टॉस भी उपलब्ध नहीं था।	समुचित व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक
लेबर रूम का रेडियन्ट वार्मर खराब था एवं न्यू वार्न केयर कार्नर भी मानकों के अनुसार नहीं था।	मानकों के अनुसार व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक


अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
लेबर रूम में डिजिटल क्लॉक उपलब्ध नहीं था।	जनपद के समस्त लेबर रूम में डिजिटल क्लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
लेबर रूम में सात ट्रे के स्थान पर पाँच ट्रे ही उपलब्ध थीं।	मानकों के अनुसार व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक
ऑपरेशन थियेटर क्रियाशील नहीं था।	मानकों के अनुसार ऑपरेशन थियेटर में उपकरणों एवं फर्नीचर की व्यवस्था कर क्रियाशील किया जाए जिससे कि नसबन्दी एवं अन्य आवश्यक ऑपरेशन कैम्प आयोजित किये जा सकें।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
बायो मेडिकल वेस्ट की एजेन्सी द्वारा कार्य किया जा रहा है परन्तु अधीक्षक के पास अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कार्यों का उचित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।	समस्त अधीक्षकों को अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करायी जाये एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. के वाहन उपलब्ध हैं परन्तु अधीक्षक के पास अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध नहीं है।	समस्त अधीक्षकों को अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करायी जाये एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. वाहनों पर किसी प्रकार की आई.ई.सी. की व्यवस्था नहीं है।	जनपद में मानकों के अनुसार आई.ई.सी. की व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. टीमों द्वारा जिला चिकित्सालय, मुजफ्फर नगर रिफर किये जाने वाले मरीजों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। वाहन लॉगबुक देखने पर पाया गया कि विगत 06 माह में केवल 01 मरीज को फैसिलिटेट किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि टीम द्वारा मरीजों को जनपद स्तर पर नहीं ले जाया जा रहा है।	मानकों के अनुसार रिकार्ड तैयार किये जायें एवं लापरवाही कर रही टीमों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. के अनटाइड फण्ड के रिकार्ड एवं फाइलों को उचित प्रकार से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। किस पी.एच.सी. पर कितना व्यय किया जा रहा है इसका स्पष्ट विवरण नहीं उपलब्ध था। रु. 20,000 से अधिक के कार्य भी बिना कोटेशन लिए ही करा लिये गये हैं।	प्रत्येक पी.एच.सी. हेतु अलग रजिस्टर बनाये जाएं एवं होने वाले व्यय का विवरण अंकित किया जाए। मानकों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर में 102 सेवा की एम्बुलेंस यू.	जनपद की समस्त	अधीक्षक / मुख्य

अवलोकन विन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
पी. 19टी.0481 निश्चित स्थान पर न खड़े होकर परिसर से दूर खड़ी रहती है। एम्बुलेंस के ई.एम.टी. द्वारा बताया गया कि विगत 01 माह से जी.पी.एस. खराब है। एम्बुलेंस वाहन में कई उपकरण अनुपलब्ध पाये गये एवं कई उपकरण अक्रियाशील पाये गये।	एम्बुलेंस निश्चित स्थान पर खड़ी की जाए। समस्त एम्बुलेंसों में जी.पी.एस. क्रियाशील किये जाएं। शासनादेश 08.10.2018 के अनुसार नियमित सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।	चिकित्साधिकारी जनपदीय प्रभारी, जी.वी.के.—ई.एम.आर.आई./मुख्य चिकित्साधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी
एम्बुलेंस वाहन के आर.सी., बीमा, पर्यावरण प्रमाण—पत्र एवं मेटेनेंस रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। लॉग बुक एवं अन्य रजिस्टर भी सही प्रकार से नहीं भरे जा रहे थे। ई.एम.टी. द्वारा एम्बुलेंस के उपकरणों एवं औषधियों के उपयोग की उचित जानकारी नहीं है।	शासनादेश 08.10.2018 के अनुसार नियमित सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल, सहारनपुर		
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बायो मेडिकल वेस्ट की धनराशि 06 बेड के हिसाब से स्वीकृति है जबकि सी.एच.सी. पर 30 बेड के हिसाब से स्वीकृति होना चाहिये। बायो मेडिकल वेस्ट की एजेन्सी द्वारा कार्य किया जा रहा है परन्तु अधीक्षक के पास अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कार्यों का उचित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।	नियमानुसार कार्यवाही की जाये। समस्त अधीक्षकों को अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करायी जाये एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. के वाहन उपलब्ध हैं परन्तु अधीक्षक के पास अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध नहीं है।	समस्त अधीक्षकों को अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करायी जाये एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाए।	अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. वाहनों पर किसी प्रकार की आई.ई.सी. की व्यवस्था नहीं है।	जनपद में मानकों के अनुसार आई.ई.सी. की व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
आर.बी.एस.के. वाहनों के जी.पी.एस. रिकार्ड नहीं उपलब्ध थे।	सेवाप्रदाता से प्राप्त किया जाए।	अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. के अनटाइड फण्ड के रिकार्ड एवं फाइलों को उचित प्रकार से रख—रखाव नहीं किया जा रहा था। किस पी.एच.सी. पर कितना व्यय किया जा रहा है इसका स्पष्ट विवरण नहीं उपलब्ध था।	प्रत्येक पी.एच.सी. हेतु अलग रजिस्टर बनाये जाएं एवं होने वाले व्यय का विवरण अंकित किया जाए। मानकों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।	अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
एम्बुलेंस के स्टाफ द्वारा पी.सी.आर. की कॉपी चिकित्सालय को नहीं उपलब्ध करायी जा रही है।	समस्त एम्बुलेंसों के स्टाफ द्वारा चिकित्सालयों को पी.सी.आर. एवं डी.बी.आर. उपलब्ध कराया जाए।	जनपदीय प्रभारी, जी.वी.के.-ई.एम.आर.आई./मुख्य चिकित्साधिकारी




पी.एच.सी., हरण, शामली



पी.एच.सी., हरण, शामली



सी.एच.सी.—थानाभवन, शामली



उपकेन्द्र—हरण, शामली



एम्बुलेंस—102, थानाभवन सी.एच.सी.

श्री अरुणेश तिवारी,
कन्सल्टेंट, ई0एम0टी0एस0

38
19/03/19

डा० पी०क० श्रीवस्तव,
उपमहाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0

(5)